रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 7 फरवरी, 1987/18 माघ, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 22 जनवरी, 1987

संख्या 6-58/81-टी०पी०टी०.—हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वाहकों की माल-भाड़ा की दरें नियत करने के सम्बन्ध में प्रस्तावित निदेशों का प्रारूप, मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 43(1) के अधीन उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप/सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, जिनकी उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी, इस विभाग की सम संख्यांक अधिसूचना तारीख 20-10-86 द्वारा तारीख 30-10-86 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था ;

और किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और राज्य परिवहन प्राधिकरण से परामर्श कर लिया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 6-20/78 परिवहन तारीख 22-5-82 और संख्या 6-58/81-टी0पी0टी0 तारीख 7-4-86 के अधिक्रमण में और मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वाहकों की माल-भाड़ा की दर नियत करने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश को निम्नलिखित निदेश तुरन्त जारी करते हैं अर्थात्:—

निदेश

राज्य परिवहन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य में सार्वजनिक वाहकों के लिए निम्नलिखित माल-भाड़े की दरें नियत की जाएंगी :—

माल कर सहित प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर माल-भाड़ा की अधिकतम दरें

(क) मैदानी क्षेत्रों में पक्की सड़कों पर :

(1) हल्का माल	8-05	रुपये
(2) भारी माल	10-07	रुपये

(ख) मैदानी क्षेत्रों में कच्ची सड़कों पर :

(1) हल्का माल	10-07	रुपये
(2) भारी माल	12-07	रुपये

(ग) जिला लाहौल स्पिति को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश में सभी पक्की पहाड़ी सड़कों पर :

(1) हल्का माल	10-07	रुपये
(2) भारी माल	14-08	रुपये

(घ) जिला लाहौल स्पिति को छोड़कर हिमाचल प्रदेश में सभी कच्ची सड़कों पर :

(1) हल्का माल	12-88	रुपये
(2) भारी माल	12-88	रुपये

(ङ) लाहौल स्पिति में सभी सड़कों पर :

(1) हल्का माल	12-88	रुपये
(2) भारी माल	17.71	रुपये

टिप्पणी :

हल्के माल के अन्तर्गत अनाज, आलू और सब्जियां, मिट्टी का तेल, पैट्रोलियम और चिकनाईदार तैल और इसी प्रकार का अन्य माल जो अपने सम्बन्धित वजन की तुलना में कम स्थान घेरता है। भारी माल के अन्तर्गत, मेज, कुर्सियां, रुई व फर्नीचर और अन्य माल है जो अपने सम्बन्धित वजन की तुलना में अधिक स्थान घेरता है।

आदेश द्वारा,
एस0 एस0 सिद्धू,
सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।